

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-९३०/२०१६ ६३८० (२) /पटना, दिनांक- १७/७/१७

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-१५४८ वि० दिनांक-२७.०६.२०११ में निहित प्रावधान के आलोक में श्री शशि भूषण, सहायक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं०-२, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-०५.०६.२००२ (पाँच जून दो हजार दो) से २८.०८.२००८ (अठारह अगस्त दो हजार आठ) तक कनीय अभियंता, II पी०वे०, जपला (पश्चिम), पूर्व मध्य रेल, मुगलसराय मंडल में की गई सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ वर्तमान सेवा के साथ परिगणित करने के फलस्वरूप उक्त अवधि की सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. इस पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
३. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९३०/२०१६

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९३०/२०१६

६३८१ (२)

पटना, दिनांक- १७/७/१७

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (निरूपण)/अधीक्षण अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं०-२/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शशि भूषण, सहायक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं०-२, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

१७/७/१७